

4

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर कैम्प, उज्जैन संभाग उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक-

/14/ निगरानी

निगा 1878-I-14


न्यास प्रधान गृह ट्रस्ट श्री महाप्रभुजी की बैठक  
मंगलनाथ रोड, उज्जैन, द्वारा-न्यासी विट्ठल  
नागर पिता बंशीलाल नागर, निवासी-मंगलनाथ  
रोड, उज्जैन (म.प्र.)

अपीलेंट  
1-12-21-नीकती

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्रीमान तहसीलदार  
महोदय, तहसील घट्टिया जिला उज्जैन (म.प्र.)

रेस्पांडेंट





13-6-11a, 2b  
2008 11-11-11-11-11

47

P 1878-एक/2014

उज्जैन

स्थान त	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभियंताओं आदि के हस्ताक्षर
<p>16-07-2014 उज्जैन सैम</p>	<p>आवेदक अधिकृत श्री मंगल बरोड़ उपाधित। उन्हें ग्राह्यता पर खुला।</p> <p>2- आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश दि. 28-2-14 की शर्तप्रतिबंधों का अवलोकन किया जिससे व्यक्त होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3- अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त द्वारा आवेदक को अपील निरस्त करने में वैधानिक कार्यवाही की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सम्बन्धी आदेशों में हस्तक्षेप का कोई आधार आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्रहण की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय अधिकारी</p>	<p style="text-align: center;"></p>